

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा)
पंचायत समिति परिसर, झोटवाड़ा, जयपुर -302012
क्रमांक:-एफ. 1 ()आत्मा/लेखा/खुली.नि./2017-18/963-68 दिनांक:-28/8/2017

खुली निविदा सूचना

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्ध अभिकरण (आत्मा) योजनान्तर्गत 2017-18 में जयपुर जिले में विभिन्न गतिविधियों यथा अन्तर्राज्यीय, अन्तरा राज्यीय एवं अन्तःजिला कृषक भ्रमण, कृषक मेले आदि में किराये की बस, लोजिंग बोर्डिंग एवं टेण्ट व्यवस्था हेतु निम्न विवरणानुसार खुली निविदा आमंत्रित की जाती है:-

क्र.स	गतिविधि	कार्य का विवरण	संभावित व्यय (रूपये)	धरोहर राशि	निविदा फार्म प्राप्त करने की दिनांक व समय	निविदा प्रस्तुत करने का दिनांक व समय	निविदा खोले जाने की दिनांक व समय
1	किराये की 52 सीटर बस (सेमी डीलक्स)	अन्तर्राज्यीय, अन्तराराज्यीय एवं अन्तः जिला कृषकों के भ्रमण हेतु	7.90 लाख	15800.00	प्रकाशन तिथि से 14.09.2017 4 pm बजे तक	दिनांक 15.09.2017 मध्यान्ह 12.00 बजे तक	दिनांक 15.09.2017 3.00 pm बजे
2	लोजिंग बोर्डिंग	भ्रमण के दौरान कृषकों के रात्री विश्राम, चाय नाश्ता एवं भोजन आदि की व्यवस्था	9.80 लाख	19600.00			
3	टेण्ट व्यवस्था	जिला स्तरीय कृषक मेले के आयोजन हेतु	3.00 लाख	6000.00			

विस्तृत विवरण हेतु <http://sppp.raj.gov.in> पोर्टल व कृषि विभाग की वेबसाइट www.krishi.rajasthan.gov.in पर भी देखा/डाउनलोड किया जा सकता है।

sd
(लक्ष्मण राम)

उप निदेशक कृषि एवं पदेन
परियोजना निदेशक (आत्मा)
जिला जयपुर

क्रमांक:-एफ. 1 ()आत्मा/लेखा/खुली.नि./2017-18/963-68 दिनांक:-28/8/2017
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष (आत्मा) जयपुर।
2. श्रीमान् निदेशक, समेती (आत्मा) दुर्गापुरा, जयपुर।
3. श्रीमान् निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, सचिवालय, जयपुर।
4. एनालिसिस्ट कम प्रोग्रामर, कृषि आयुक्तालय, राज. जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय साइट www.krishi.rajasthan.gov.in, एवं <http://sppp.raj.gov.in> पर उक्त निविदा को अपलोड करवाने का श्रम करें।
5. नोटिस बोर्ड, कार्यालय श्रीमान् जिला कलेक्टर, जयपुर।

sd
(लक्ष्मण राम)

उप निदेशक कृषि एवं पदेन
परियोजना निदेशक (आत्मा)
जिला जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा)
पंचायत समिति परिसर, झोटवाड़ा, जयपुर -302012
क्रमांक:-एफ. 1 ()आत्मा/लेखा/खुली.नि./2017-18/ दिनांक:-

निविदा फार्म शुल्क 400/-

निविदा सूचना संख्या किराये पर बस हेतु निविदा फार्म

1.	कार्यालय का नाम	उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा) जयपुर।		
2.	निविदा सूचना संख्या			
3.	धरोहर राशि	रुपये 15800.00		
4.	संलग्न दस्तावेज			
5.	निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पूर्ण पता			
6.	निविदा फार्म विक्रय करने की तिथि व समय	निविदा प्रकाशन तिथि से 14.09.2017 मध्यान्ह पश्चात् 4.00 बजे तक		
	निविदा जमा कराने की तिथि व समय	दिनांक 15.09.2017 मध्यान्ह 12.00 बजे तक		
	निविदा खोलने की तिथि व समय	दिनांक 15.09.2017 मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे		
7.	कार्य का विवरण	आत्मा गतिविधियों के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय, अन्तरा राज्यीय एवं अन्तःजिला कृषक भ्रमण हेतु किराये पर बस (सेमी डीलक्स 52 सीटर) हेतु।		
8.	प्रस्तावित दर (अन्तर्राज्यी भ्रमण में संभावित राज्य हरियाणा, पंजाव, दिल्ली, उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश एवं गुजरात, महाराष्ट्र)	अन्तः जिला (3 दिवस हेतु)	अन्तरा राज्यीय (5 दिवस हेतु)	अन्तर्राज्यीय (7 दिवस हेतु)

मैंने/हमने उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा) जयपुर द्वारा उपापन समिति द्वारा जारी की गई निविदा की समस्त शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ व समझ लिया है तथा मुझे/हमें निविदा की समस्त शर्तें मंजूर हैं व उनके सभी पृष्ठों पर उल्लेखित शर्तों को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किया जाता है।

निविदादाता के हस्ताक्षर


उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा)
जयपुर परियोजना निदेशक (आत्मा)
जिला-जयपुर
2/ATMA/OPEN TENDER/2017-18

निविदा की शर्तें

कार्यालय द्वारा वर्ष 2017-18 में आत्मा योजनान्तर्गत की जाने वाली गतिविधि किराया पर बस लेने हेतु आमंत्रित निविदा की शर्तें

1. इच्छुक निविदादाता द्वारा निविदा में दिये गये निदेशों के अनुसार मुहरबंद लिफाफे में निविदा प्रस्तुत की जावेगी, जिस पर कृषक भ्रमण हेतु सेमी डिलक्स बस किराये पर उपलब्ध कराने हेतु निविदा लिखकर ही प्रस्तुत करें। निविदा खुली होने पर तथा कांट छोट होने पर स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. निविदा प्रपत्र के साथ नियमानुसार दो प्रतिशत धरोहर राशि प्रस्तुत करनी होगी, यह राशि असफल निविदादाताओं को तत्काल ही लौटा दी जावेगी जबकि सफल निविदादाताओं को कार्य आदेश दिये जाने पर 3 प्रतिशत राशि शामिल करते हुए कुल 5 प्रतिशत राशि बतौर सुरक्षा राशि कार्यालय को जमा करवानी होगी। धरोहर राशि के अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी। धरोहर एवं सिक्योरिटी (सुरक्षा राशि) राशि नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करवाई जा सकेगी। निजी चैक्स मान्य नहीं होंगे।
3. वाहन की दरें समस्त कर सहित (वाहन का कर, जीएसटी, सेवा कर इत्यादि) एवं समस्त व्यय टोल टैक्स, स्टेट टैक्स, डीजल व्यय आदि सम्मिलित करते हुए निविदा फार्म में उल्लेखानुसार प्रस्तुत करें। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. निविदा वाहन मालिक ट्रेवल्ल्स एजेन्सी एवं किराये पर वाहन उपलब्ध कराने वाली अनुभवी फर्म के द्वारा ही प्रस्तुत की जावे।
5. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकण से भरा जायेगा। पेंसिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता, निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा।
6. निविदा स्वीकार होने के पश्चात सात दिवस या जो समय निर्धारित किया जावे के अनुसार सिक्योरिटी राशि जमा नहीं कराने एवं निर्धारित करार नहीं करने पर बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी।
7. निविदा में निविदादाता की तरफ से लगाई गई शर्तें मान्य नहीं होगी।
8. देय भुगतान से नियमानुसार आयकर की कटौती की जावेगी।
9. निविदादाता को भुगतान करने से पूर्व भुगतान पर देय जीएसटी की राशि संबंधित विभाग में जमा करा कर चालान प्रति प्रस्तुत करनी होगी उसके पश्चात ही देय भुगतान निविदादाता को किया जावेगा। आप द्वारा देय जीएसटी राशि जमा नहीं कराने पर एवं बकाया राशि होने पर नियमानुसार जमा धरोहर राशि में से काटी जाकर संबंधित विभाग में जमा करायी जावेगी। जिसके लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
10. निविदादाता को निविदा से समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है तथा शर्तों एवं समझौते पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर आवश्यक है। इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

निरन्तर.....2


(लक्ष्मण राम)

उप निदेशक कृषि एवं
पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा)
जिला-जयपुर
डी.डी.ओ. कोड नं. 12/32371

